APPOINTMENT OF INDEPENDENT EXTERNAL MONITORS (IEM) FOR IMPLEMENTATION OF INTEGRITY PACT IN THE MINSTRY OF EARTH SCIENCES

1. INTRODUCTION

Ministry of Earth Sciences (MoES) has decided to adopt a pre-contract Integrity Pact to be signed between the Ministry and the prospective bidders/sellers for all procurements/projects of value of Rs. 5 Crore and above. The Integrity Pacts would be implemented through a panel of two Independent External Monitors (IEMs), appointed by the organisation, in consultation with the Central Vigilance Commission(CVC).

2. ELIGIBILITY CRITERIA

A. Basic Eligibility

The eligibility criteria for consideration for selection of IEM for Ministry of Earth Sciences are as follows:-

(i) The names of only those retired officers of Government of India who served as Secretary/Additional Secretary/Joint Secretary to Government of India or equivalent positions in State Governments or Public Sector Undertakings would be considered for appointment as IEM

(ii) Retired Judges of Supreme Court/High Court & Ex-Chairman/ CMD and equivalent of Schedule 'A' and Schedule 'B' Public Sector Enterprises/Public Sector Undertakings would also be considered for appointment as IEM.

(iii) The name of the officers/executive would not be considered, who is earlier serving or who has retired from MoES or its attached offices/autonomous bodies to be an IEM in this Ministry, although he may have served in the top management.

B. Other Criteria:

(i) The applicant should have been involved in high value public procurement process and should be conversant with CVC guidelines on the same.

(ii) The applicant should not have been awarded any major disciplinary penalty during erstwhile service or any disciplinary action/case is pending for decision /judgment with any committee / court of Law or with any other competent authority

3. TENURE OF APPOINTMENT

The normal term of appointment for an **IEM would be three years**.

4. ROLE/FUNCTIONS OF IEMs

(i) The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and shall perform their functions neutrally and independently. They would review independently and objectively, whether and to what extent parties have complied with their obligations under the Integrity Pact. For this purpose, they would have access to all contract documents/ books of accounts of the bidders in case of any allegation of violation of any provisions of the Integrity Pact or payment of commission, wheather required. The IEMs will have the option to participate in such meetings among the parties related to the project provided such meetings could have an impact on the contractual relation between the parties.

(ii) Ideally all IEMs of an organization should meet once in every two months to take stock of ongoing tendering process.

(iii) The IEMs would examine all complaints received by them and give their rocommendations/ views to the designated officer of the Ministry, at the earliest. The Monitors would also inform the Ministry, if they notice or have reason to believe, a violation of the Integrity Pact. They may also send their report directly to the Central Vigilance Commission, in case of suspicion of serious irregularities requiring legal/administrative action.

(iv) At least one IEM should be invariably cited in the Notice Inviting Tender (NIT). However, for ensuring the desired tranparency and objectivity in dealing with the complaints arising out of any tendering process, the matter should be examined by the full panel of IEMs, who would look into the records, conduct an investigaion, and submit their joint recommendations.

(v) The recommendations of IEMs would be in the nature of advice and would not be legally binding. At the same time, it is made clear that the IEMs are not consultants in the Ministry. Their role is independent in nature and the advice once tendered would not be subject to review.

(vi) The role of the Chief Vigilance Officer (CVO) of MoES shall remain unaffected by the presence of IEMs. A matter being examined by the IEMs can be seperately investigated by the CVO, if a complaint is received by him or directed to him by the Central Vigilance Commission.

(vii) The applicants may refer to relevant instructions on the role of the IEM available on website of the Ministry of Finance at www.finmin.nic.in and that of the CVC at www.cvc.gov.in.

5. REMUNERATION

(i) The remuneration payable to the IEMs will be Rs. 50,000/- per procurement.

(ii) IEM will be eligible for getting the TA/DA and transportation allowance payable as per normal rates applicable to a serving officer of an equivalent rank.

6. MODE OF SELECTION

The eligible candidates who evince interest and apply for the same may be evaluated by a Committee. The candidates shortlisted will be considered subject to clearance from Central Vigilance Commission.

7. HOW TO APPLY

Interested applicants should send their application in prescribed Bio-data (enclosed herewith-Annexure I) in sealed envelope, by courier/post to the following address so as to reach on or before **3:00 P.M. 01st February 2016.**

The Chief Vigilance Officer,
Ministry of Earth Sciences,
Prithvi Bhawan, Lodhi Road,
New Delhi-110003

The envelope should be superscribed ***"Application for Independent External Monitor".***

8. CONTACT DETAILS

For any further clarifications, applicant may contact:

Sh. Hajari Lal Meena
Deputy Secretary (Vigilance)
Ministry of Earth Sciences,
Prithvi Bhawan, Lodhi Road,
New Delhi-110003

Tel : 011 24669531

ANNEXURE - I

BIO-DATA

Affix a passport sized photograph

1.	Name	
2.	Fathers Name	
3.	Gender	
4.	Date of Birth (enclose supporting documents)	
5.	Educational Qualification (enclose supporting documents)	
6.	Specialized Training/Courses Attended (enclose supporting documents)	
7.	Organization from which superannuated (enclose supporting documents)	
8.	Designation at the time of superannuation (enclose supporting documents)	
9.	Experience details (posting details during the last 10 years before superannuation)	
10	Address for communication	
11	Permanent Address	
12	Mobile Number	
13	Email Id	
14	Any additional information (enclose additional sheet)	

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में अखंडता समझौते के कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनीटरों (आईईएम) की नियुक्ति

1. प्रस्तावना

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने 5 करोड़ रु. तथा उससे ऊपर के मूल्य वाले सभी प्रापणों/परियोजनाओं के लिए मंत्रालय और संभावित बोलीकर्ताओं/विक्रेताओं के बीच हस्ताक्षर किए जाने हेतु संविदा-पूर्व अखंडता समझौते को अपनाने का निर्णय लिया है। इस अखंडता समझौते को, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के परामर्श से, संगठन द्वारा नियुक्त किए गए, दो स्वतंत्र बाहरी मॉनीटरों (आईईएम) के एक पैनल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

2. पात्रता मानदंड

क. मूल पात्रता

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए आईईएम के चयन हेतु विचार करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:-

(i) भारत सरकार के केवल उन सेवानिवृत अधिकारियों के नामों पर आईईएम के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जिन्होंने भारत सरकार के सचिव/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव अथवा राज्य सरकारों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समकक्ष पदों पर कार्य किया हो।

(ii) सुप्रीम कोर्ट/उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश तथा अनुसूची 'ए' तथा अनुसूची 'बी' के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पूर्व अध्यक्ष/सीएमडी अथवा समकक्ष पर भी आईईएम के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा।

(iii) इस मंत्रालय में आईईएम के रूप में नियुक्ति हेतु उन अधिकारियों/कार्यकारी के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, जिन्होंने पूर्व में एमओईएस अथवा इसके संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्तशासी निकायों में कार्य किया हो अथवा सेवानिवृत हुए हो, भले ही उन्होंने उच्च प्रबंधन में कार्य किया हो।

ख. अन्य मानदंड

(i) आवेदक उच्च महत्व वाली सार्वजनिक प्रापण प्रणाली में शामिल रहा हो तथा साथ ही उसे सीवीसी दिशा-निर्देशों की भी अच्छी जानकारी हो।

(ii) आवेदक पर उसकी पूर्ववर्ती सेवा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक शास्ति न लगाई गई हो अथवा न ही उसके विरुद्ध किसी समिति/न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्णय/फैसले के लिए कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई/मामला लंबित हो।

3. **नियुक्ति की अवधि**

आईईएम की नियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्ष की होगी।

4. **आईईएम की भूमिका/कार्य**

(i) मॉनीटर, पक्षकारों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए अनुदेशों के विषयाधीन नहीं होंगे तथा अपने कार्य को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रूप से निष्पादित करेंगे। वे, अखंडता समझौते के तहत, स्वतंत्र रूप से तथा तटस्थता से इसकी समीक्षा करेंगे कि क्या पक्षकारों ने अपनी बाध्यताओं का अनुपालन किया है और किस स्तर पर। इस उद्देश्य के लिए, आवश्यकता होने पर, अखंडता समझौते के किसी भी प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी आरोपों अथवा कमीशन के भुगतान के मामले में, उसके पास बोलीकर्ताओं के सभी निविदा दस्तावेजों/बही-खातों तक पहुंच होगी। आईईएम के पास, परियोजना से संबंधित पक्षकारों के बीच होने वाली ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प होगा बशर्ते ऐसी बैठकों से पक्षकारों के बीच हुए संविदात्मक संबंध पर प्रभाव पड़ता हो।

(ii) किसी भी संगठन के सभी आईईएम को चल रही निविदा प्रक्रिया की जांच करने के लिए आदर्श रूप से दो माह में एक बार, बैठक करनी चाहिए।

(iii) आईईएम, उन्हें प्राप्त सभी शिकायतों की जांच करेंगे और जल्द से जल्द, अपनी संस्तुतियां/विचार मंत्रालय के नामित अधिकारी को देंगे। मॉनीटर, अगर यह नोटिस करते/अथवा उनके पास इस विश्वास का कारण है कि अखंडता समझौते का उल्लंघन हुआ है तो वे मंत्रालय को भी इसके बारे में सूचित करेंगे। वे गंभीर अनियमितताओं के संदेह के मामले में, अपेक्षित विधायी/प्रशासनिक कार्रवाई हेतु अपनी रिपोर्ट सीधे ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भी भेज सकते हैं।

(iv) कम से कम एक आईईएम का अनिवार्य रूप से निविदा आमंत्रण हेतु सूचना (एनआईटी) में जिक्र किया जाएगा। तथापि, किसी भी टेंडरिंग प्रक्रिया से उपजी शिकायतों के निपटान में आवश्यक पारदर्शिता तथा तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए, मामले की जांच आईईएम के पूरे पैनल द्वारा की जाएगी जो कि रिकॉर्डो को देखेगा, उनकी जांच करेगा और अपनी संयुक्त संस्तुतियां प्रस्तुत करेगा।

(v) आईईएम की सिफारिशें केवल परामर्शी प्रकृति की होगी और वह विधायी रूप से बाध्य नहीं होंगी। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आईईएम, मंत्रालय में परामर्शदाता नहीं है। उसकी भूमिका स्वतंत्र है और उनके द्वारा दी गई सलाह की पुनरीक्षा नहीं की जाएगी।

(vi) एमओईएस के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की भूमिका आईईएम की उपसथिति से अप्रभावित रहेगी। आईईएम द्वारा जांचे जा रहे मामले की जांच सीवीओ द्वारा अलग से भी की जा सकती है, अगर शिकायत उसे प्राप्त हुई हो अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उसे अग्रेषित की गई हो।

(vii) आवेदक, वित्त मंत्रालय की वेबसाइट www.finmin.nic.in पर उपलब्ध आईईएम की भूमिका तथा सीवीसी की वेबसाइट www.cvc.gov.in पर सीवीसी की भूमिका से संबंधित निर्देशों को देख सकते है।

5. **पारिश्रमिक**

(i) आईईएम को भुगतान किए जाने योग्य पारिश्रामिक 50,000/- रु. प्रति प्रापण होगा।

(ii) आईईएम, समकक्ष रैंक में कार्यरत अधिकारी हेतु लागू सामान्य दरों के अनुसार भुगतान योग्य टीए/डीए तथा यात्रा भत्ते का हकदार होगा।

6. चयन का तरीका

इच्छुक योग्य अभ्यर्थियों, जिन्होंने इस हेतु आवेदन किया है, का समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। चयनित अभ्यार्थियों पर, केन्द्रीय सतर्कता आयोग से क्लीयरेंस मिलने पर विचार किया जाएगा।

7. आवेदन कैसे करे

इच्छुक आवेदक निर्धारित फॉर्मेट में (अनुलग्नक-I पर संलग्न) अपना बायोडेटा सील बंद लिफाफे में कोरियर/डाक द्वारा, निम्नलिखित पते पर 1 फरवरी, 2016 तक अपराह्न 3:00 बजे तक अथवा उससे पहले भेज दें।

मुख्य सतर्कता अधिकारी,
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,
पृथ्वी भवन, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

लिफाफे के ऊपर "**स्वतंत्र बाहरी मॉनीटरों हेतु आवेदन**" लिखा हो।

8. संपर्क पता

किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, आवेदक संपर्क कर सकते है:

श्री हज़ारीलाल मीणा
उप सचिव (सतर्कता)
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,
पृथ्वी भवन, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
टेलि: 011-24669531

अनुलग्नक-I

बायो-डेटा

पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं

1.	नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	लिंग	
4.	जन्मतिथि (समर्थनकारी दस्तावेज़ संलग्न करे)	
5.	शैक्षणिक अर्हताएं (समर्थनकारी दस्तावेज़ संलग्न करे)	
6.	विशेषज्ञ प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम जिसमें भाग लिया हो (समर्थनकारी दस्तावेज़ संलग्न करे)	
7.	संगठन का नाम जहां से सेवानिवृत हुए हो (समर्थनकारी दस्तावेज़ संलग्न करे)	
8.	सेवानिवृति के समय धारित पद (समर्थनकारी दस्तावेज़ संलग्न करे)	
9.	अनुभव का विवरण (सेवा निवृति से पूर्व पिछले 10 वर्षों के दौरान तैनाती का विवरण)	
10.	पत्र-व्यवहार का पता	
11.	स्थायी पता	
12.	मोबाइल नं.	
13.	ई-मेल आईडी	
14.	कोई अतिरिक्त सूचना (अतिरिक्त शीट संलग्न करें)	